2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नाम :– विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत देघाट–नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी–कलियालिगुड–झीपा बैण्ड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। (2.500किमी.) (1.485है0)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक **13.03.2015** को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से **श्री हेम चन्द्र आर्या** वन दरोगा राजस्व विभाग की ओर से **श्री** प्रि० एम० डंगवाल पटवारी एवं लो0नि0वि0 की ओर से **श्री के0जी0 गोस्वामी**, अपर सहायक अभियन्ता/**श्री नन्दन सिंह अमीन**, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु राज्य वन भूमि 1.485 है0 व वन पंचायत भूमि ....X.... है0 कुल 1.485 है0 वन भूमि प्रभावित होती है तथा 0.765 है0 नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है, तथा प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में 50 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

भू0अ0 अमीन प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत	अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत

तहसीलदार स्याल्दे
जिला–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उप जिलाधिकारी,
चौकियाखाल (अल्मोड़ा)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.